न्यायालय जिला कलक्टर करौली

पीठासीन अधिकारी डॉ. मोहन लाल यादव, आई.ए.एस.

दरब सिंह गुर्जर पुत्र श्री उम्मेद सिंह, निवासी बाबू का पुरा, ग्राम पंचायत नरायणा, तहसील मासलपुर जिला करौली (राज.) — अपीलाण्ट

बनाम

जिला रसद अधिकारी करौली, जिला करौली (राज0) — रेस्पोण्डेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 22 राजस्थान खाद्यान्न एवम् अन्य आवश्यक पदार्थ विनिमय आदेश 1976 एवं जिला रसद अधिकारी, करौली द्वारा पारित निर्णय व आदेश दिनांक 01.07.2019 मुकदमा संख्या 137 / 19

निर्णय

दिनांक 17.12.2019

यह अपील राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 की धारा 22 के तहत प्रस्तुत की गई है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 29.03.2019 को जिला रसद अधिकारी करौली द्वारा मय टीम अपीलार्थी की राशन दुकान का निरीक्षण किया गया जिसमें पाई गई अनियमिततओं यथा अप्रार्थी द्वारा दुकान नियमित नहीं खोलना, 3229 किलोग्राम गेंहूं, 590 किलोग्राम चीनी एवं 3237.5 लीटर केरोसीन का दुरुपयोग करना, स्टॉक रजिस्टर का संधारण नहीं करना, खाद्य सुरक्षा सूची को चस्पा नहीं करना, पोश मशीन की पर्ची नहीं देना, निर्धारित दर से अधिक दर वसूल करना आदि के आधार पर जिला रसद अधिकारी करौली द्वारा आदेश दिनांक 01.07.2019 द्वारा अपीलार्थी का राशन प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया जिसके विरुद्ध यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी की तलबी जरिये सम्मन नोटिस की गई। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब कर शामिल पत्रावली किया गया।

बहस उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

वकील अपीलाण्ट ने अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में कथन किया है कि अपीलार्थी बिना किसी शिकायत के ईमानदारी से ग्राम पंचायत नरायणा तहसील मासलपुर जिला करौली के उपभोक्ताओं को रसद सामग्री का वितरण कार्य करता रहा है। आदेश दिनांक 01.07.2019 राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ वितरण का विनियम आदेश 1976 के प्रावधानों के विपरीत, विधि विरूद्ध होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। राजस्थान सरकार खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा दिनांक 30.06.2016, 19.07.2016 एवं 05.08.2016 को पोश मशीन द्वारा रसद सामग्री का ऑनलाईन वितरण बाबत् दिशा निर्देश पारित किये गये तत्पश्चात् दिनांक 24.03.2017 को संशोधित आदेश पारित किये जिसके अनुसार उपभोक्ता द्वारा अपने आधार कार्ड एवं अंगूठे का बायोमैट्रिक रूप से मिलान करने पर उपभोक्ता के रजिस्टर्ड मोबाइल पर ओ.टी.पी. नम्बर आता है जिसको उपभोक्ता द्वारा उचित मूल्य दुकानदार को बताने पर रसद सामग्री देय होती है जिसका प्राप्ति मैसेज उपभोक्ता के रजिस्टर्ड मोबाइल पर आ जाता है। चूंकि उक्त वितरण व्यवस्था पूर्ण रूप से कम्प्यूटराइज्ड होने के कारण लेसमात्र भी कालाबाजारी की कोई गुंजाईश नहीं हो सकती एवं देय रसद सामग्री का मैसेज उपभोक्ता के रजिस्टर्ड मोबाईल पर आ जाने के कारण राशनकार्ड में रसद सामग्री का इन्द्राज किया जाना आवश्यक नहीं है लेकिन जांच दल द्वारा उक्त तथ्यों को नजरअंदाज कर काल्पनिक रूप से प्रार्थी के विरुद्ध रसद सामग्री के

दुरुपयोग का आरोप माना जाकर रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसके आधार पर जिला रसद अधिकारी करौली द्वारा बिना किसी उचित आधार पर प्रार्थी के प्राधिकार पत्र को अत्यन्त कठोर दण्ड देते हुए निरस्त किया गया जो कि कतई रूप से उचित नहीं होने के कारण विवादित आदेश दिनांक 01.07.2019 निरस्त किये जाने योग्य है। राजनैतिक दबाव के कारण जिला रसद अधिकारी करौली के निर्देशानुसार संयुक्त जांच दल द्वारा दिनांक 29.03.2019 को प्रार्थी की दुकान की जांच की गई जिसके आधार पर प्रार्थी के ऊपर 32.29 क्विं. गेंहूं, 5.9 क्विं. चीनी एवं 3237.5 लीटर केरोसीन का दुरुपयोग माना जाकर प्रार्थी के प्राधिकार पत्र को अपने आदेश दिनांक 02.04.2019 को निलंबित किया जाकर प्रार्थी को दिनांक 08.04.2019 को कारण बताओ नोटिस जारी किया जो कि प्रार्थी को तामील नहीं हुआ तत्पश्चात् दिनांक 10.05.2019 को पुनः कारण बताओ नोटिस जारी किया गया जिसका उचित एवं विस्तृत जवाब प्रार्थी द्वारा दिनांक 27.05. 2019 दे दिया गया जिसमें प्रार्थी द्वारा यह स्पष्ट रूप से लिखित किया है कि प्रार्थी द्वारा पोस मशीन से नियमानुसार रसद सामग्री का ऑनलाइन वितरण किया जाता है जिसमें प्रार्थी के स्तर पर किसी भी प्रकार की कोई अनियमितता किया जाना संभव नहीं है। यहां यह उल्लेखनीय है कि वक्त जांच पोस मशीन में 0.5 लीटर केरोसीन दर्ज था लेकिन जांच दल द्वारा बिना किसी उचित कारण के एवं रिकॉर्ड से परे जाकर प्रार्थी के ऊपर 3237.5 लीटर केरोसीन के दुरुपयोग का आरोप लगाया गया जबकि विभाग द्वारा स्वयं के स्तर पर पोस मशीन में केरोसीन चढ़ाया जाता है बावजूद इसके जिला रसद अधिकारी करौली द्वारा बिना किसी उचित मापतौल के अंदाजन रसद सामग्री की गणना की जाकर प्रार्थी के ऊपर आरोप प्रमाणित माना गया जिसमें कतई कोई सच्चाई नहीं है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि 32.29 क्विं. गेंहूं एवं 5.9 क्विं. चीनी प्रार्थी के स्टॉक में मौजूद थी लेकिन जांच दल द्वारा राजनैतिक दबाब के कारण उक्त अवशेष स्टॉक की मापतौल नहीं की जाकर अंदाजन से रिपोर्ट तैयार की जबकि वक्त जांच प्रार्थी के गोदाम में 32.29 क्विं. गेंहूं एवं 5.9 क्विं. चीनी उपलब्ध थी जिसको प्रार्थी द्वारा अटैच डीलर को सुपुर्द कर दी गई। प्रार्थी का एकमात्र रोजगार यह दुकान है एवम् प्रार्थी के ऊपर कोई गम्भीर आरोप भी नहीं है एवम् प्रार्थी द्वारा किसी प्रकार की कोई कालाबाजारी नहीं की गयी है एवं प्रार्थी के विरुद्ध रसद सामग्री वितरण को लेकर किसी भी उपभोक्ता की कोई शिकायत नहीं है एवं प्रार्थी द्वारा अवशेष स्टॉक भी अटैच डीलर को सुपुर्द कर दिया गया। उसके बावजूद जिला रसद अधिकारी करौली द्वारा प्रार्थी के प्राधिकार पत्र को बिना किसी उचित कारण के निरस्त कर दिया गया। अतः विवादित आदेश दिनांक 01.07.2019 निरस्त किये जाने योग्य है। अंत में अपील अपीलाण्ट स्वीकार फरमाये जाने का कथन किया है।

प्रतिनिधि प्रत्यर्थी ने बहस में कथन किया है कि दिनांक 29.03.2019 को अपीलार्थी की दुकान का जिला रसद अधिकारी करौली द्वारा मय टीम जांच की गई। वक्त जांच दुकान खुली पायी गई एवं मौके पर श्री ज्ञानसिंह पुत्र श्री बत्तू सिंह मीना ग्राम अनीजरा वितरण करते हुए मौजूद मिले जिन्होंने दुकान का निरीक्षण करवाया। वक्त जांच दुकान के बाहर मूल्य व स्टॉक प्रदर्शन एवं मोबाइल नंबर प्रदर्शित नहीं पाये गये। वक्त जांच पोस मशीन में 597 किलोग्राम चीनी, 0.5 लीटर केरोसीन एवं 157.79 क्विं. गेंहूं दर्ज पाया गया। दुकान का भौतिक सत्यापन करने पर गेंहूं का स्टॉक 250 कट्टे सीलबंद (प्रति 50 किलो) कुल 125.00 क्विं. एवं एक खुला कट्टा 50 किलो कुल वजन गेंहूं 125.50 क्विं., केरोसीन 00(शून्य) लीटर एवं चीनी 00(शून्य) किलोग्राम पायी गई। मजमे आम में पूछताछ पर उपभोक्ताओं ने राशन डीलर द्वारा नियमित रूप से दुकान नहीं खोलना, पोशमशीन की पर्ची नहीं देना, बकाया राशन नहीं देना, राशनकार्डों में इन्द्राज नहीं करना बताया। डीलर द्वारा माह मार्च 2019 में भी बी.पी.एल., स्टेट बी.

पी.एल., व अन्त्योदय के गेंहूं के भी एक रुपये प्रति किलो के स्थान पर 2 रुपये वसूले जा रहे हैं। कार्यालय रिकॉर्ड एवं ऑनलाइन वितरण के आधार पर समीक्षा करने पर वक्त जांच अपीलार्थी के पास अवशेष स्टॉक 157.79 क्विं. गेंहूं, 5.9 क्विं. चीनी एवं 3237.5 लीटर केरोसीन होना चाहिये था। इस प्रकार अपीलार्थी राशन डीलर की दुकान पर वक्त जांच 32.29 क्विं. गेंहूं, 5.9 क्विं. चीनी एवं 3237.5 लीटर केरोसीन कम पाया गया है जिसका अपीलार्थी राशन डीलर द्वारा दुरुपयोग किया गया है जो गंभीर अनियमितता है जिसके आधार पर अपीलार्थी राशन डीलर का प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया है जो विधिसम्मत् है। अंत में अपील अपीलाण्ट खारिज फरमाने का कथन किया है।

बहस उभय पक्षकारान एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का गहनता से अवलोकन कर मनन किया गया। दिनांक 29.03.2019 को जिला रसद अधिकारी करौली द्वारा मय टीम अपीलार्थी की दुकान का निरीक्षण किया गया। वक्त जांच दुकान खुली पायी गई एवं मौके पर श्री ज्ञानसिंह पुत्र श्री बत्तू सिंह मीना ग्राम अनीजरा वितरण करते हुए मौजूद मिले जिन्होंने दुकान का निरीक्षण करवाया। अपीलार्थी की दुकान का भौतिक सत्यापन करने पर दुकान में 125.50 क्विं. गेंहूं, 00(शून्य) लीटर केरोसीन एवं 00(शून्य) किलोग्राम चीनी पायी गई। कार्यालय रिकॉर्ड, ऑनलाइन वितरण के आधार पर अपीलार्थी की दुकान की समीक्षा करने पर अपीलार्थी के पास वक्त जांच 157.79 क्विं. गेंहूं, 5.9 क्विं. चीनी एवं 3237.5 लीटर केरोसीन होना चाहिये था। इस प्रकार अपीलार्थी की दुकान पर वक्त जांच 32.29 क्विं. गेंहूं, 5.9 क्विं. चीनी एवं 3237.5 लीटर केरोसीन कम पाया गया जिसका अपीलार्थी राशन डीलर द्वारा दुरुपयोग किया जाना विदित होता है जो गंभीर अनियमितता है। वक्त जांच दुकान के बाहर मूल्य व स्टॉक प्रदर्शन एवं मोबाइल नंबर प्रदर्शित नहीं पाये गये। मजमे आम में पूछताछ पर उपभोक्ताओं ने राशन डीलर द्वारा नियमित रूप से दुकान नहीं खोलना, पोशमशीन की पर्ची नहीं देना, बकाया राशन नहीं देना, राशनकार्डों में इन्द्राज नहीं करना बताया। डीलर द्वारा माह मार्च 2019 में भी बी.पी.एल., स्टेट बी.पी.एल., व अन्त्योदय के गेंहूं के भी एक रुपये प्रति किलो के स्थान पर 2 रुपये वसूले जा रहे हैं। जो गंभीर अनियमितता है। अपीलार्थी द्वारा कम पाये गये स्टॉक को पूर्ण कर अटैच डीलर को सुपुर्द करना, अपीलाण्ट की ''बाद की सोच'' को दर्शाता है। यदि अपीलाण्ट के पास स्टॉक पूर्ण होता तो वक्त जांच मौके पर ही निरीक्षण दल को निरीक्षण करवाया गया होता। दुकान के नियमित नहीं खोलने के कारण उपभोक्ताओं को रसद सामग्री का वितरण भी समय पर नहीं हो पाता है जिससे सरकार की गरीब उपभोक्ताओं को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध करवाने की मंशा भी पूरी नहीं हो पाती है। इसलिए हम अपील अपीलाण्ट को खारिज किया जाना उचित समझते हैं।

अतः अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है। जिला रसद अधिकारी करौली का आदेश दिनांक 01.07.2019 यथावत् रखा जाता है। जिला रसद अधिकारी करौली का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति के साथ भिजवाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 17.12.2019 को खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(डॉ. मोहन लाल यादव)
जिला कलक्टर
करौली

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Mohan Lal Yadav
Date: 2020.01.01 11:19:04 IST
Reason: SelfAttested
Location: